

प्रतिवादी

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री**

दिनांक :-.....

वादी की ओर से श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक को उमा गित्तल <sup>आर.ए.एस</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद में निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

चक नम्बर 16 पी वी एन के वर्तमान खाता संख्या 104/71 के प.न.16/309 (47) की कुल 0.759 हैक्टर अनकमाण्ड तथा तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 17 पी वी एन के वर्तमान खाता संख्या 243/110 प.न.21/317 (25) की 1.855 हैक्टर, प.न. 21/318 (28) की 0.800 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.655 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड गैर मुमकिन रास्ता के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम करनैलसिंह के स्थान पर मोहिन्द्रसिंह किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ..20/4/26..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा गित्तल)  
सहायक कलक्टर एवं आर.ए.एस  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा